सीएसएनएसडब्ल्यू पीड़ितों(विक्टिम्स) का रजिस्टर

सीएसएनएसडब्ल्यू विक्टिम्स रजिस्टर तथ्य-पत्र

क्या आप किसी जुर्म के शिकार हुए हैं?

अगर आपको नुकसान पहुँचाने वाला व्यक्ति एनएसडब्ल्यू में सज़ा काट रहा है, तो आप ये कर सकते हैं:

- उनकी रिहाई की तिथि का पता लगाना, या अगर वे अपनी सज़ा के दौरान भाग जाते हैं या मर जाते हैं
- अगर उन्हें पैरोल देने पर विचार किया जा रहा है (अगर वे योग्य हैं) तो अपनी राय देना।

यदि यह कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो विक्टिम्स रजिस्टर आपकी मदद कर सकता है।.

विक्टिम्स रजिस्टर क्या है?

विक्टिम्स रजिस्टर न्यू साउथ वेल्स में सज़ा काट रहे वयस्क अपराधियों के पीड़ितों को जानकारी देता है।.

हमारे साथ पंजीकरण करके, आपको अपराधी की रिहाई की ताज़ा जानकारी से अपनी योजना बनाने में सहायता मिल सकती है । हमारी टीम आपकी ज़रूरतों के हिसाब से और संवेदनशीलता से मदद करने के लिए समर्पित है।

पंजीकरण कौन कर सकता है?

आप पंजीकरण कर सकते हैं यदि:

- आप प्रत्यक्ष रूप से अपराध के शिकार हुए हैं
- आप उस पीड़ित के पारिवारिक प्रतिनिधि हैं जिसकी अपराध के कारण मौत हो गई है
- आप ऐसे पीड़ित की देखभाल करते हैं जो 18 साल से कम आयु का है या क़ानूनी तौर पर अक्षम है
- आप पीड़ित के मनोनीत व्यक्ति हैं (अगर प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित हुआ व्यक्ति पहले से पंजीकृत है)।.

अपराधी के लिए आवश्यक है कि वह:

- एक वयस्क हो जिसे आपके या आपकी देखभाल में किसी के खिलाफ़ अपराध का दोषी पाया गया हो; और
- • करेक्टिव सर्विसेज़ एनएसडब्ल्यू (Corrective Services NSW, CSNSW) की देखरेख में एनएसडब्ल्यू में सज़ा काट रहा हो।

इसमें वे अपराधी शामिल हैं जो:

- जेल में हैं
- पैरोल पर हैं
- व्यक्तिगत हिंसा के अपराध के लिए इंटेंसिव करेक्शन ऑर्डर पर हैं, या
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी क़ैद या निगरानी (सुपरविज़न) वाले आदेश(ऑर्डर) पर हैं।

आप तब भी इस योग्य हो सकते हैं यदि:

- अपराधी कॉमनवेल्थ से जुड़ी सज़ा काट रहा हो
- अपराध किसी दूसरे राज्य या टेरिटरी में हुआ हो
- आप किसी दूसरे राज्य, टेरिटरी या देश में रहते हों
- अपराधी को सज़ा काटते कुछ समय हो गया हो
- अपराधी पहले ही पैरोल पर रिहा हो चुका हो
- आप यह दिखा सकें कि अपराधी से संबंधित होने के कारण आपकी सुरक्षा ख़तरे में है।

आपको क्या जानकारी मिल सकती है?

हम आपको बता सकते हैं:

- अपराधी की सज़ा और हिरासत (कस्टडी) की जानकारी
- अगर उन्हें बिना संरक्षण के छुट्टी या पैरोल देने पर विचार किया जा रहा है (अगर वे योग्य हैं)
- अगर उनकी पैरोल रद्द कर दी गई है
- अगर वे कस्टडी से भाग गए हैं
- अगर सज़ा काटते समय उनकी मौत हो गई है
- उन्हें कब रिहा किया जाना है।

हम पैरोल या बिना संरक्षण वाली छुट्टी दिए जाने के विचाराधीन मामलों में भी आप को अपनी राय प्रस्तुत करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

हम आपको इनके बारे में नहीं बता सकते:

- अन्य आरोप या सज़ाएँ जो मामले से संबंधित नहीं हैं
- अपराधी का चिकित्सीय और मानसिक इतिहास
- कस्टडी से रिहा होने के बाद अपराधी कहाँ पर है
- करेक्शनल सेंटर या मेडिकल सुविधा के बीच होने वाले स्थानांतरण
- आप्रवासन संबंधी मामले।

मैं कब तक पंजीकृत रहूँगा/गी?

आपका पंजीकरण तब तक सक्रिय रहेगा जब तक अपराधी आपके खिलाफ़ किए गए जुर्म के लिए अपनी सज़ा पूरी नहीं कर लेता।

आपका पंजीकरण तब खत्म हो सकता है जब:

- आप हमसे इसे बंद करने के लिए कहें
- अपराधी की मौत हो जाए या वह दूसरे राज्य या विदेश चला जाए
- उसकी दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पलट दी जाए या रद्द कर दी जाए
- आप विक्टिम्स रजिस्टर से मिली जानकारी को जनता में फैलाने के लिए साझा करते/ती हैं

विक्टिम्स रजिस्टर, *क्राइम्स (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ सेंटेंस अधिनियम 1999* के भाग 16 के अनुसार काम करता है।

मेरे आवेदन करने के बाद क्या होगा?

हम आपके आवेदन पर 10 व्यावसायिक दिवसों के अंदर कार्यवाही करने का उद्देश्य रखते हैं।

हम आपकी जानकारी सत्यापित करने के लिए दूसरी एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर आगे की जानकारी के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं।

आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पर कार्यवाही हो जाने के बाद, हम आपको बताएंगे कि आपको पंजीकृत कर दिया गया है या फिर आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। अगर आप पंजीकृत किए जाते हैं, तो हम आपको अपराधी के बारे में जानकारी देंगे।

दुभाषिया चाहिए?

अनुवाद व दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर फ़ोन करें (नि:शुल्क फ़ोन)

उनसे सीएसएनएसडब्ल्यू विक्टिम्स रजिस्टर को (02) 8688 0555 पर फ़ोन करने के लिए कहें

क्या आप पंजीकरण कराना चाहेंगे?

कृपया हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता के लिए सोमवार-शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध हैं।

फ़ोन: **02 8688 0555** या

ईमेल करें: victims.register@correctiveservices.nsw.gov.au

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ:

https://correctiveservices.dcj.nsw.gov.au/support/victim-support.html